उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 02 अग्रहायण, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 23 नवम्बर, 2007)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए **नत्थी "क"**)।

2. अन्य प्रश्न (देखिये **नत्थी "ख"**)।

3. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2006-07 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखेंगे।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

5. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007-08) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

6. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007-08) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

7. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड घनसाली के ग्राम सौंप-आर्स-नैक्वाडा-चुरेना-चामी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विरेन्द्र सिंह रावत, एवं अन्य निवासीगण, ग्राम व पो0- सौंप, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के ग्राम शिकोपुर गांव में सोलानी नदी पर पुल निर्माण के संबंध में" श्री राव अखलाक पुत्र श्री शेर मोहम्मद एवं अन्य निवासीगण, ग्राम शिकोपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह निवासी भगवानपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में परिवहन विभाग के बस स्टैण्ड की स्थापना के संबंध में" श्री देवेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री आनन्द प्रकाश निवासी भगवानपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

12. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

13. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

14. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

15. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करेंगे।

16. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए **नत्थी-"ग"**)

17. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

18. वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 5815 हजार (अठावन लाख पन्द्रह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत **रू0 3720 हजार (सैंतीस लाख बीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 6198 हजार (इक्सठ लाख अठानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत **रू0 13500 हजार (एक करोड़ पैंतीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 116915 हजार (ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या- 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत **रू0 1105816 हजार (एक सौ दस करोड़ अठावन लाख सोलह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत **रू0 2000 हजार (बीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 153700 हजार (पन्द्रह करोड़ सैंतीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 1505508 हजार (एक सौ पचास करोड़ पचपन लाख आठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 935317 हजार (तिरानवे करोड़ तिरपन लाख सत्रह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 200917 हजार (बीस करोड़ नौ लाख सत्रह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 30000 हजार (तीन करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 62385 हजार (छः करोड़ तेइस लाख पचासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 862882 हजार (छियासी करोड़ अठाईस लाख बयासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 167700 हजार (सोलह करोड़ सतहत्तर लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 297383 हजार (उन्तीस करोड़ तिहतर लाख तिरासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 694136 हजार (उनहत्तर करोड़ इक्तालीस लाख छत्तीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत **रू0 46088 हजार (चार करोड़ साठ लाख अठ्ठासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निमार्ण कार्य के अन्तर्गत **रू0 687562 हजार (अड़सठ करोड़ पचहत्तर लाख बासठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत **रू0 33282 हजार (तीन करोड़ बत्तीस लाख बयासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 302001 हजार (तीस करोड़ बीस लाख एक हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत **रू0 33326 हजार (तीन करोड़ तैंतीस लाख छब्बीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 112401 हजार (ग्यारह करोड़ चौबीस लाख एक हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(24) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत **रू0 386300 हजार (अड़तीस करोड़ तिरसठ लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन के अन्तर्गत **रू0 165919 हजार (सोलह करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 180546 हजार (अठारह करोड़ पांच लाख छियालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(27) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 463778 हजार (छियालीस करोड़ सैंतीस लाख अठहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

(28) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 214296 हजार (इक्कीस करोड़ बयालीस लाख छियानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकार की जाय।

19. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

20. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करेंगे।

21. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

22. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

23. निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

श्री खजान दास — "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल एवं जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रवांई-जौनपुर क्षेत्र को जौनसार बावर की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय।"

24. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 23 नवम्बर, 2007

(महेश चन्द्र)
सचिव।

नत्थी "ग"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 नवम्बर, 2007 की बैठक में 23 नवम्बर, 2007 से 27 नवम्बर, 2007 के उपवेशन के कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

नवम्बर, 2007

23	शुक्रवार	(1) अनुदानवार अनुपूरक मांगों पर चर्चा एंव मतदान।
		(2) उत्तराखण्ड विनियोग (2007–08 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एंव पारण।
		(3) असरकारी दिवस (आधा दिन)।
24	शनिवार	अवकाश।
25	रविवार	अवकाश।
26	सोमवार	बैठक नही होगी।
27	मंगलवार	<u>विधायी कार्य।</u>
		1– प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित "उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक 2007" पर विचार एवं पारण । (2 घंटे)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 02 अग्रहायण, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 23 नवम्बर, 2007)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 12–11–2007

**1. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 'खेल नीति' तैयार हो जाने के पश्चात् अभी तक लागू न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सत्य है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यथोचित सम्मान, आर्थिक पारितोषिक एवं नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में खेल नीति को अतिशीघ्र लागू कर खिलाड़ियों को सम्मान देने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यो?

खेल

श्री यशपाल बेनाम 13–11–2007

**2. द्वितीय सत्र, 2007 के प्रथम गुरूवार के तारा0 प्र0 सं0–07 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शा0 सं0–1165, दि0 4 अगस्त, 2005 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि कृषि निदेशालय, देहरादून से संचालित करने का निर्णय लिया जा चुका है? क्या यह सत्य है कि शासनादेश संख्या–1165 दि0 4 अगस्त, 2005 द्वारा अग्रिम आदेशों तक ही पौड़ी के स्थान पर देहरादून से कृषि निदेशालय संचालित किये जाने का निर्णय हुआ है? क्या मंत्री जी उक्त शासनादेश की प्रति पटल पर रखते हुए यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि निदेशालय, देहरादून से संचालित करने का निर्णय किस आधार एवं स्तर पर लिया गया है?

कृषि

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री नारायण पाल 11–10–2007	*1. क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गन्ना किसानों को उनके द्वारा गत वर्ष 2006–07 में प्रदेश की चीनी मिलों को दिये गये गन्ने के मूल्य का अद्यतन भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	गन्ना विकास
श्री यशपाल बेनाम 15–10–2007	*2. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि पौड़ी में स्थित राँसी स्टेडियम एशिया में ऊँचाई के हिसाब से दूसरे नम्बर पर स्थित है? यदि हाँ, तो उक्त स्टेडियम को अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	खेल
श्री नारायण पाल 16–10–2007 श्री प्रीतम सिंह 30–10–2007	*3. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खेलों एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश/प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों यथा महेन्द्र सिंह धोनी, जसपाल राणा, अभिनव बिन्द्रा एवं सुषमा सिंह जैसे खिलाड़ियों को सरकार पुरस्कृत किये जाने की कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	खेल
श्री प्रीतम सिंह 24–10–2007	*4. क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में युवा कल्याण विभाग द्वारा लघु स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है? क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत लघु स्टेडियमों के निर्माण कार्यों को रोका गया है? यदि हाँ, तो क्यों?	खेल
काजी मो0 निजामुद्दीन 26–10–2007	*5. क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिराई वर्ष 2007–08 के लिए सरकार द्वारा किसानों हेतु गन्ने का न्यूनतम मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक सरकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय कर लेगी?	गन्ना विकास

अतारांकित प्रश्न

श्री मयूख महर 03–10–2007	1. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरड़ीखान (वि0ख0 डीडीहाट) तामाखानी तथा चौपाता (वि0ख0 कनालीछीना) का माध्यमिक स्तर पर उच्चीकरण करने पर विचार करेगी? यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?	शिक्षा
श्री मयूख महर 08–10–2007	2. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार ई0जी0एस0 केन्द्रों के उच्चीकरण के फलस्वरूप उसमें कार्यरत शिक्षा मित्र उच्चीकृत विद्यालय में यथावत रहेंगे ? यदि हॉ, तो क्या सरकार उन्हें नियमित शिक्षक के अनुरूप नियत किया गया वेतन देगी ? यदि नहीं तो उक्त कार्यरत शिक्षा मित्रों हेतु क्या वेतन/मानदेय नियत है ?	शिक्षा
श्री नारायण पाल 11–10–2007	3. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आम खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या सरकार प्रदेश में खेलों के विकास हेतु प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्टेडियमों के निर्माण किये जाने पर विचार करेगी?	खेल
श्री नारायण पाल 16–10–2007	4. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कॉमनवैल्थ एसोसिएशन एवं इंडियन ऑलम्पिक एसोसिएशन के अन्तर्गत आने वाले किन–2 खेलों की प्रतियोगिता सरकार द्वारा राज्य में आयोजित किये जाने की उक्त से स्वीकृति मांगी है? यदि नहीं, तो क्यों?	खेल
श्री राजेश जुवांठा 16–10–2007	5. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितने शिक्षक इण्टर कॉलेजों एवं हाईस्कूलों में तैनात हैं तथा कुल कितने शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक रिक्त पद भर दिये जायेंगे?	शिक्षा
श्री राजेश जुवांठा 16–10–2007	6. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने ऐसे इण्टर कॉलेज/हाई स्कूल भवन हैं जो क्षतिग्रस्त एवं भवनविहीन स्थिति में हैं? क्या यह सत्य है कि विद्यालयों के उच्चीकरण से छात्रों के बैठने के लिए भवनों की कमी बनी हुई है? यदि हाँ, तो सरकार नये भवन निर्माण एवं क्षतिग्रस्त भवनों के जीर्णोद्धार हेतु कदम उठा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं,? तो क्यों?	शिक्षा

श्री गगन सिंह रजवार 18–10–2007	7. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत प्रा0वि0 से जूनियर हाईस्कूल तक 53 पद अध्यापकों के रिक्त हैं? यदि हाँ, तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 22–10–2007	8. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रा0क0इ0 कालेज–द्वाराहाट व चौखुटिया के भवनों निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत हुई है? यदि हाँ, तो वर्तमान में निर्माण कार्य की स्थिति क्या है और कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा?	शिक्षा
श्री राजेश जुवांठा 23–10–2007	9. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितने शिक्षक/शिक्षिकाऐं प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूलों में तैनात हैं तथा कुल कितने शिक्षक/शिक्षिकाओं के पद रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक रिक्त पद भर दिये जायेंगे?	शिक्षा
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 23–10–2007	10. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश भर में ऐसे कितने स0 अध्यापिकाऐं या सहायक अध्यापक (बी0टी0सी0) वाले हैं जो विगत 25 वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों (इण्टर/हाईस्कूल स्तर) में अध्यापन कार्यकर रहे हैं लेकिन उनको उक्त समय से वर्तमान तक कोई पदोन्नति/पंचम वेतनमान नहीं दी जा रही है? यदि हाँ, तो जिलेवार स्पष्ट स्थिति क्या है? क्या ऐसे सहायक अध्यापिकाओं/अध्यापक (बी0टी0सी0) को उक्त सुविधा देने पर विचार कर रही है और कब तक?	शिक्षा
काजी मो0 निजामुद्दीन 29–10–2007	11. क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिराई वर्ष 2007–08 हेतु राज्य में स्थित समस्त चीनी मिलों को चलाने के लिए कोई अंतिम तिथि तय की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	गन्ना विकास
श्रीमती अमृता रावत 30–10–2007	12. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पास संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं अपर शिक्षा निदेशक का भी प्रभार है? यदि हाँ, तो एक अधिकारी के पास तीन पदों का प्रभार दिये जाने का औचित्य क्या है तथा कब तक जनपद पौड़ी में मण्डलीय अधिकारियों की तैनाती कर दी जायेगी?	शिक्षा
श्रीमती अमृता रावत 30–10–2007	13. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभाग में किन–2 अधिकारियों के पद किस–2 वेतनमान में स्वीकृत है और क्या इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों को निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या यह भी सत्य है कि उक्त विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति हेतु डी0पी0सी0 आयोजित करने/करवाने में हो रहे विलम्ब के कारण अधिकारियों की आगामी पदोन्नति बाधित है? यदि हाँ, तो डी0पी0सी0 कब तक आरम्भ की जायेगी?	शिक्षा